

दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

सुरक्षित : 05 मार्च, 2014

निर्णित : 03 अप्रैल, 2014

आप.अ.843/2012

रोहित

..... अपीलार्थी

द्वारा : श्री एस.बी. दंडापानी, अधिवक्ता।

बनाम

राज्य

..... प्रत्यर्थी

द्वारा : एम.एन.डुडेजा, अ.लो.अभि. राज्य के लिए।

कोरम:

न्यायमूर्ति श्री एस.पी.गर्ग

न्या. श्री एस.पी.गर्ग

1. इस अपील में पुलिस थाना प्रसाद नगर में दर्ज प्राथमिकी संख्या 38/11 से उत्पन्न सत्र वाद संख्या 33/11 में दिनांकित 02.05.2012 को दिए गए निर्णय के लिए चुनौती है जिसके द्वारा अपीलार्थी-रोहित को भा.दं.सं की धारा 304 (II) के तहत अपराध करने के लिए दोषी अभिनिर्धारित किया गया था। दिनांकित 07.05.2012 के आदेश द्वारा उसे सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी।

2. बिहारी लाल-अपीलार्थी के पिता दिनांक 14.02.2011 को अपने घर संख्या 16/1644 ई, बापा नगर, करोल बाग, दिल्ली के अंदर मृत पाए गए। रात 10.06 बजे पी.सी.आर. से सूचना मिलने पर पुलिस थाना प्रसाद नगर में दैनिक डायरी (डी.डी.) संख्या 36 क दर्ज की गई कि एक व्यक्ति जो शराब पीने का आदी था उसकी घर के अंदर मृत्यु हो गई थी। यह जाँच उ.नि. मनीष को सौंपी गई। वह सि. भूर सिंह के साथ घटना स्थल पर गए। उसने बिहारी लाल के शव को बाँए हाथ और पैर पर कई चोटों के साथ जमीन पर पड़े देखा था। घटनास्थल पर काफी खून बिखरा हुआ था। अपराध दल ने घटनास्थल की तस्वीरें लीं और शव को पोस्टमार्टम के लिए एल.एन.जे.पी. अस्पताल भेज दिया। अभि.स.-2 (डॉ. जतिन बोडवाल) ने शव का पोस्टमार्टम किया और मौत का कारण 'हाथ से गला घोटने के परिणामस्वरूप 'श्वासावरोध' बताया। शव मृतक के परिजनों को सौंप दिया गया। जांच के दौरान पता चला कि दिनांक 14.02.2011 को मृतक और अपीलार्थी के बीच झगड़ा हुआ था। जांच अधिकारी ने दिनांक 18.02.2011 को भा.दं.सं. की धारा 302 के तहत प्राथमिकी दर्ज की। तथ्यों से परिचित साक्षियों के बयान दर्ज किए गए। दिनांक 19.02.2011 को रोहित को गिरफ्तार कर लिया गया और उसकी निशानदेही पर कुछ बरामदगी भी की गई। जांच पूरी होने के बाद भा.दं.सं. की धारा 302 के तहत आरोप पत्र दायर किया गया, उस पर विधिवत आरोप लगाया गया और विचारण पर लाया गया। अभियोजन पक्ष ने दोष सिद्ध करने के लिए 12 गवाहों से पूछताछ की। धारा 313 के बयान में अपीलार्थी ने अपराध में अपनी संलिप्तता से इनकार

किया तथा अभिवाक दी कि शाम करीब 5-5.30 बजे जब वह अपने दोस्त राहुल के साथ घर में जूते लेने आया तो शराब के नशे में धुत उसके पिता ने उसे तथा उसके दोस्त को गालियां देनी शुरू कर दीं। वह अपने दोस्त राहुल के साथ घर से निकल गया। जब वह लगभग 08.30-9.00 बजे रात को लौटा, तो उसने अपने घर के सामने भीड़ देखी। उनकी बहन रेखा भी वहां मौजूद थीं। जब दरवाजा खोला गया तो उसने देखा कि उसके पिता मुख्य दरवाजे के पास घायल अवस्था में पड़े हैं और उनके पैर से खून बह रहा है। उसने डॉ. जफर आलम को बुलाया, जिन्होंने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। जब वह अपने पिता को अस्पताल ले जाने के लिए शव को उठाने लगा तो उसके पहने हुए कपड़ों पर खून के धब्बे लग गए थे। हालाँकि, उन्होंने बचाव में किसी साक्षी से पूछताछ नहीं की। विचारण के परिणामस्वरूप उन्हें भा.दं.सं. की धारा 304 (II) के तहत दोषी ठहराया गया।

3. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और अभिलेख की जाँच की। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने आग्रह किया कि विचारण न्यायालय ने अपने सही और उचित परिप्रेक्ष्य में साक्ष्य का मूल्यांकन नहीं किया था। उन्होंने कहा कि अभियोजन पक्ष का मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित था। हालाँकि, परिस्थितियाँ अपीलार्थी के अपराध की ओर स्पष्ट रूप से इशारा नहीं करती हैं। वे अधिक से अधिक कुछ संदेह पैदा कर सकती हैं, लेकिन संदेह, चाहे कितना भी प्रबल क्यों न, सबूत की जगह नहीं ले सकता है। अपीलार्थी का अपने पिता

को चोट पहुँचाने और उसकी मृत्यु का कारण बनने का कोई उद्देश्य नहीं था। वह उस समय घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। पोस्टमॉर्टम जाँच रिपोर्ट (प्र.अभि.स.-2/क) से पता चलता है कि मृतक की मृत्यु का संभावित समय सुबह 02.20 था। अपीलार्थी ने सभी रिश्तेदारों को सूचित किया था और डॉक्टर को बुलाया था। उसने मृतक का अंतिम संस्कार कर दिया था और दिनांक 19.02.2011 पर उसकी गिरफ्तारी तक वह संदिग्ध नहीं था। विचारण न्यायालय को अपराध के हथियार या खून से सने कपड़ों की बरामदगी पर विश्वास नहीं हुआ। विद्वान् अ.लो.अभि. ने आग्रह किया कि अभियोजन पक्ष द्वारा निवेदित साक्ष्य विचाराधीन अपराध में अपीलार्थी की संलिप्तता के बारे में संदेह की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते हैं। अधिवक्ता ने निवेदन किया कि इसलिए, याचिका खारिज कर दी जाए।

4. इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि बिहारी लाल की एक मानवहत्या हुई है इस बिंदु पर चिकित्सा साक्ष्य स्पष्ट है। इस संबंध में महत्वपूर्ण गवाही अभि.स.-2 (डॉ. जतिन बोडवाल) की है, जिन्होंने रिपोर्ट (प्र.अभि.स.-2/क) के द्वारा मृतक के शव का पोस्टमॉर्टम किया था। उनकी राय में, मौत का कारण गर्दन पर चोटें यानी चोट संख्या 1 से 6 को हाथों से गला दबाकर घोटने के परिणामस्वरूप श्वासावरोध था। ये चोटें प्रकृति के सामान्य क्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थीं और मृत्यु का तरीका मानवहत्या था। विशेषज्ञ साक्षी द्वारा दी गई राय को प्रतिपरीक्षा में चुनौती नहीं दी गई। पोस्टमॉर्टम

रिपोर्ट से पता चला है कि पीड़ित के शरीर के विभिन्न अंगों/भागों पर 13 चोटें आई थीं। कुछ चोटें धारदार हथियार से तथा कुछ कुंद वस्तु से पहुंचाई गई थीं। मौत का कारण हाथ से गला घोटना था। सभी चोटें मृत्यु से पहले की प्रकृति की थीं, अवधि में ताजा थीं और सामान्य रूप से मौत का कारण बनने के लिए पर्याप्त थीं। मौत से करीब 15 मिनट पहले, अभि.स.-1 (राकेश कुमार सिंघानिया) ने पीड़ित को स्वस्थ और तंदुरुस्त देखा था। स्पष्ट रूप से, यह गैर इरादतन हत्या का मामला था।

5. शुरुआत में, यह उल्लेख किया जा सकता है कि अभियोजन पक्ष का मामला यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। अभि.स.-1 (राकेश कुमार सिंघानिया) ने बताया कि दिनांक 14.02.2011, पर शाम को जब वह गली में जा रहा था तो उसने रोहित और उसके दोस्त राहुल को रोहित के घर में शराब पीते देखा। इस बीच, बिहारी लाल जो शराब के नशे में धुत था वहाँ गया। उसने अभियुक्त को गंदी गालियाँ देते हुए राहुल को घर छोड़ने से जाने के लिए कहा। उस पर राहुल घर से चला गया और अभियुक्त रोहित ने उसका (उसके पिता का) कॉलर पकड़ लिया और उसे कमरे के अंदर घसीट लिया। इसके बाद उसने दोनों के बीच झगड़े की आवाजें सुनी। लगभग 15 मिनट के बाद, अभियुक्त को अपनी बहन के साथ वहाँ आते देखा। उन्होंने उसकी उपस्थिति में दरवाजा खोला और भागवत उर्फ बिहारी को फर्श पर मृत पड़ा देखा। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और उसका बयान दर्ज किया। विद्वान अ.लो.अभि. द्वारा प्रतिपरीक्षा में,

न्यायालय की अनुमति के बाद, उसने स्वीकार किया कि झगड़े के कुछ समय बाद, अभियुक्त के घर से आने वाले झगड़े की आवाज़ बंद हो गई थी और अभियुक्त दरवाजा बंद करके घर से चला गया था। उसने स्वीकार किया कि कुछ समय बाद रोहित अपनी बहन-रेखा के साथ लौट आया। प्रतिपरीक्षा में, उसने बताया कि वह पेशे से एक नलसाज(प्लम्बर) था और रोजाना शाम 5.00 बजे तक काम करता था। बिहार लाल उसे अपने पड़ोसी होने के नाते जानते थे और वह उसे अपने भाई की तरह व्यवहार करता था दिनांक 14.02.2011 को वह रात्रि भोजन के बाद 8-9 बजे के बीच गली में टहल रहा था, तभी मृतक ने अभियुक्त को गाली देना शुरू कर दिया। उसको बिहारी लाल की मौत के बारे में तब पता चला जब अभियुक्त अपनी बहन के साथ वहां आया। उसने बताया कि उसने झगड़े में हस्तक्षेप नहीं किया, क्योंकि पीड़िता और अपीलार्थी के बीच अक्सर झगड़ा होना रोजाना की बात थी और यह बात सभी को पता थी। यहाँ तक कि मृतक कई बार उससे झगड़ा भी करता था।

6. घटनास्थल पर इस साक्षी की उपस्थिति, रहने वाले पड़ोसी होने के नाते पीड़ित के निवास से बहुत कम दूरी पर काफी स्वाभाविक और संभावित थी। उसने झूठा बयान देने के लिए अपीलार्थी या पीड़ित के साथ कोई द्वेष या दुश्मनी नहीं थी। वह यह स्वीकार करने के लिए काफी निष्पक्ष था कि उसने अभियुक्त को पीड़ित को पीटते हुए नहीं देखा था। उसकी गवाही 313 बयान में अपीलार्थी की अभिवाक/बचाव के अनुरूप है कि घटना के दिन पीड़ित के साथ

एक झगड़ा हुआ था जब वह नशे की हालत में आया था और उसे और उसके दोस्त राहुल को गाली दी थी। स्वतंत्र गवाह की ठोस और स्वाभाविक गवाही को त्यक्त करने का कोई ठोस कारण नहीं है। अभि.स.-4 (राहुल) ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि दिनांक 14.02.2011 पर वह सड़क पर रोहित से मिला और उसके साथ उसके घर चला गया। शाम लगभग 5.30 बजे उसके पिता शराब के नशे में वहाँ पहुँचे और अपने बिस्तर घर के अंदर फेंकने लगे। उसने दोनों से गाली-गलौज भी किया। वह उक्त झगड़े के कारण तुरंत अभियुक्त के घर से निकल गया। अभि.स.-1 और अभि.स.-4, की गवाही से यह स्थापित होता है कि घटना के दिन अपीलार्थी और पीड़ित के बीच झगड़ा हुआ था और मृतक ने उसे और उसके दोस्त राहुल को गाली दी थी। अभि.स.-1 की गवाही से आगे यह स्थापित होता है कि यह घटना दोपहर लगभग रात 9 बजे हुई जब झगड़े के बाद पीड़ित को घर के अंदर घसीटा गया और उसके बाद उसे वहाँ से झगड़े की आवाजें सुनाई दीं। उक्त घटना के लगभग 15 मिनट बाद, अपीलार्थी अपनी बहन-रेखा के साथ घर लौट आया और बिहारी लाल घर के अंदर मृत पाए गए। स्पष्ट तौर पर, अपीलार्थी एकमात्र व्यक्ति था जिसे आखिरी बार घर के अंदर पीड़ित के साथ देखा गया था। केवल पंद्रह मिनट के लिए, अपीलार्थी घर के अंदर नहीं था और अपनी बहन-रेखा के पास गया था जो 16/882 ई, बाबा नगर, पदम सिंह रोड, करोल बाग में रहती थी। यह दिखाने के लिए अभिलेख पर कुछ भी नहीं है कि इन पंद्रह मिनट के दौरान कोई अन्य व्यक्ति घर के अंदर आया था या नहीं। अपराध एक घर की निजता के अंदर हुआ था जहाँ

अपीलार्थी को इसे करने का पूरा अवसर था। यह अभिलेख में है कि झगड़े के बाद, अपीलार्थी घर का दरवाजा बंद करके चला गया था और जब वह अपनी बहन रेखा के साथ घर लौटा तो उसने दरवाजा खोला और शव मिला। स्पष्ट रूप से, अपीलार्थी के घर से निकलने और उसके पंद्रह मिनट के अंदर लौटने के दौरान किसी और के पास घर में जाने का प्रवेश मार्ग नहीं था। अपीलार्थी ने यह नहीं बताया कि वह अपने पिता को घायल अवस्था में छोड़कर घर का दरवाजा बंद करके बाहर क्यों गया था। उन्होंने इस बारे में विस्तार से नहीं बताया कि रेखा उनसे कहाँ मिली और उसे घर लाने का क्या कारण था। बचाव में रेखा से यह दिखाने के लिए पूछताछ नहीं की गई कि अपीलार्थी उनके पास कब गया था। ये सभी परिस्थितियाँ अपीलार्थी की विशेष जानकारी में थीं और वह साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के तहत स्पष्टीकरण देने के लिए कानूनी दायित्व के तहत था। हालाँकि, उसने कोई स्वीकार्य स्पष्टीकरण नहीं दिया और इन पंद्रह मिनट के दौरान अपने वह कहाँ था का खुलासा करने में विफल रहा। शुरू में उसका अभिवाक् था कि वह घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। उसने अभि.स.-1 को कोई सूचना नहीं दी कि वह राहुल के साथ दोपहर लगभग 05.30 बजे चला गया था। अभि.स.-4 (राहुल) ने अपने अभिसाक्ष्य में केवल इतना कहा कि अपीलार्थी के पिता द्वारा गाली-गलौज शुरू करने के बाद वह करीब शाम 5.30 बजे अभियुक्त के घर से वह चला गया था। उसने यह नहीं बताया कि उस समय रोहित भी उनके साथ घर से निकला था। केवल 313 बयानों में, अपीलार्थी ने अभिवाक दायर की कि वह अपने दोस्त राहुल के साथ

लगभग शाम 05.00-5:30 बजे चला गया था और लगभग शाम 08.30-09.00 बजे लौटा था। उसने यह नहीं बताया कि कहाँ और किस उद्देश्य से, वह इस अवधि के दौरान घर से बाहर रहा था। अपीलार्थी ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के तहत उस पर डाले गए दायित्व का निर्वहन नहीं किया था। यह मौन परिस्थितियों की श्रृंखला में एक अतिरिक्त कड़ी का निर्माण करता है। अपीलार्थी की ओर से स्पष्टीकरण के अभाव में, यह निष्कर्ष निकालने का हर औचित्य था कि अपीलार्थी ही गला घोटने सहित अन्य चोटों पहुँचाने वाला था।

7. अपीलार्थी का अपने पिता को गंभीर हालत में छोड़ना अनुचित और अप्राकृतिक है। उसने पीड़ित को घर के अंदर खींच लिया था और उसके बाद झगड़े की आवाजें सुनाई देने लगीं थीं। उस समय घर के अंदर कोई और नहीं था। स्पष्ट है, पीड़ित के शरीर पर पाए गए घाव उसी के द्वारा पहुँचाए हुए थे। अपीलार्थी पीड़ित को घटनास्थल से चिकित्सा सहायता के लिए नहीं ले गया। यहां तक कि उसने पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज नहीं कराई। चोट लगने के बाद वह अपनी बहन रेखा के पास गया और करीब पंद्रह मिनट बाद उसे घर ले आया। इसके बाद न तो उसने और न ही रेखा ने पुलिस को सूचित किया और न ही पीड़ित को अस्पताल पहुँचाया गया था। यह अस्पष्ट है कि अभि.स.-5 (डॉ. जफर आलम) जो 16/1575 ई. बापा नगर, आर्य समाज रोड, दिल्ली में 'बिहार क्लिनिक' के नाम और पद्धति से एक निजी क्लिनिक चला रहा था, उसे किस समय बुलाया गया था। जब वह घटनास्थल पर पहुँचे तो उसने देखा कि पीड़ित

मृत पड़ा है। उसने यह नहीं बताया कि अपीलार्थी किस समय उनसे मिलने आया था और वह किस समय घटनास्थल पर पहुंचे थे। पी.सी.आर. फॉर्म (प्र.अभि.स.-12/ड) जिसके माध्यम से घटना के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई थी, 22:03:18 पर दर्ज किया गया। सूचना देने वाले प्रेम राज जो की मकान संख्या 16/1661 ई, बापा नगर, आर्य समाज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली में रहते थे को साक्षी के रूप में परीक्षित नहीं किया गया। डी.डी. संख्या 36क में दर्ज है कि पीड़ित की घर के अंदर ही प्राकृतिक मौत हो गई थी क्योंकि वह शराब पीने का आदी था। स्पष्ट रूप से, पुलिस को गुमराह किया गया था। यह प्राकृतिक मौत का मामला नहीं था, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण 'हाथ से गला घोटने के परिणामस्वरूप श्वासावरोध' बताया गया था। पी.सी.आर. फॉर्म (प्र.अभि.स.-12/ड) और डी.डी. संख्या 36-क दर्ज करने के बाद भी अपीलार्थी को संदिग्ध नहीं माना गया और दिनांक 14.02.2011 को कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। यह जांच अभिकरण की ओर से चूक को दर्शाता है। जब स्पष्ट रूप से पीड़ित के विभिन्न अंगों पर कई चोटें थीं, तो दिनांक 14.02.2011 को भी इसे प्राकृतिक मृत्यु का मामला मानने का कोई प्रश्न ही नहीं था। दिनांक 18.02.2011 को केवल पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही दं.प्र.सं. की धारा 302 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।

8. यह सत्य है कि पोस्टमार्टम जाँच रिपोर्ट (प्र.अभि.स.-2/क) में मृत्यु का संभावित समय दिनांक 14/15.02.2011 की मध्य रात्रि 02.20 पूर्वाह्न बजे

बताया गया है। अभि.स.-1 (राकेश कुमार सिंघानिया) ने स्पष्ट रूप से अभिसाक्ष्य दिया कि जब अभियुक्त अपनी बहन रेखा के साथ पंद्रह मिनट बाद वापस लौटा तो बिहारी लाल लगभग रात 09.00 अपराह्न बजे मृत पड़ा मिला। डी.डी. संख्या 36क में पीड़ित की मौत के तथ्य रात 10.06 अपराह्न बजे के आसपास दर्ज किए गए थे। विचारण न्यायालय ने पोस्टमार्टम जांच में दी गई मौत के संभावित समय में विसंगति पर विचार किया है और उचित कारणों से चिकित्सा साक्ष्य की तुलना में प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य को प्राथमिकता दी गई है जो कि सलाहकारी प्रकृति का था।

9. अपीलार्थी का स्पष्ट उद्देश्य पीड़ित को चोट पहुँचाना था क्योंकि उसने उसे और उसके दोस्त को घर के अंदर शराब पीने के लिए गाली दी थी। पीड़ित द्वारा गाली-गलौज किए जाने के कारण राहुल घर से चला गया था। अपीलार्थी को यह पसंद नहीं आया और इसने उसे पीड़ित को खींचने के लिए उकसाया, जो शराब के नशे में था और उसे कई चोटें पहुँचाई थी।

10. अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा उजागर की गई कुछ विसंगतियां और विरोधाभास असंगत हैं। अपराध के हथियार यानी लकड़ी के स्टूल का पैर का बरामद न होना और घटना के समय अपीलार्थी द्वारा पहने गए खून से सने कपड़ों की बरामदगी महत्वपूर्ण नहीं है। इस मामले में, अभियोजन पक्ष 'अंतिम बार देखे जाने' के सिद्धांत पर निर्भर है। यहाँ, जब अभि.स.-1 ने मृतक और अभियुक्त/अपीलार्थी को एक साथ देखा और जब मृत्यु का पता चला, उसके

बीच व्यावहारिक रूप से कोई समय अंतराल नहीं है। समय अंतराल केवल पंद्रह मिनट का था। अप्राकृतिक आचरण; पीड़ित को चोट पहुंचाने के लिए अपीलार्थी का उद्देश्य; तथा अपराध में फ़साने वाली परिस्थितियों के लिए 313 के कथन में दिया गया झूठा स्पष्टीकरण, अन्य मजबूत परिस्थितियां हैं, जो जोड़ने वाले रूप से एक चैन भी पूर्ण बनाते हैं कि इस निष्कर्ष से कोई बच नहीं सकता कि सभी मानवीय संभावनाओं के भीतर, अपराध अपीलार्थी द्वारा ही किया गया था, किसी अन्य द्वारा नहीं किया गया था। आक्षेपित निर्णय साक्ष्यों के निष्पक्ष मूल्यांकन पर आधारित है तथा यह निष्कर्ष कि अपीलार्थी ही अकेले अपराध करने वाला था, इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

11. सजा के आदेश को संशोधित करने के लिए वैकल्पिक अभिवाक की ओर मुड़ते हुए, क्योंकि अपीलार्थी ने उसे दी गई सजा की पर्याप्त अवधि काट ली है, यह पता चलता है कि अपीलार्थी को दी गई सजा सात साल की कठोर कारावास की है, जिसे अनुचित या अत्यधिक नहीं कहा जा सकता है। अपीलार्थी, जिस पर अपने वृद्ध पिता की देखभाल करने की जिम्मेदारी थी, ने कुंद/नुकीली वस्तु से अपने पिता को बेरहमी से कई चोटें पहुंचाईं तथा गला दबाकर उनकी हत्या भी कर दी। पीड़ित का एकमात्र दोष यह था कि उसने घर के अंदर उसके और उसके दोस्त राहुल द्वारा शराब पीने पर आपत्ति जताई थी। अपीलार्थी किसी भी तरह की नरमी का हकदार नहीं है।

12. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, अपील को गुणागुणा रहित मानते हुए खारिज किया जाता है। विचारण न्यायालय द्वारा दी गई सजा और दोषसिद्धि बरकरार रखी जाती है। इस आदेश की प्रति के साथ विचारण न्यायालय का अभिलेख वापस भेजा जाए।

(श्री एस.पी.गर्ग)
न्यायाधीश

अप्रैल 3, 2014/एसए

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।